हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

29 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) के परिवारों/दिव्यांग सैनिकों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के संबंध में संशोधित नीति/निर्देशों को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री की 21 अक्टूबर, 2021 की घोषणा के अनुसार हरियाणा सरकार ने सशस्त्र बल (सेना, नौसेना और वायु सेना) जो युद्ध/ऑपरेशनल क्षेत्र में, आतंकवादी गतिविधियों और प्राकृतिक आपदाओं आदि में मारे गए/दिव्यांगकर्मियों के लिये निःशक्तता के आधार पर अनुग्रह अनुदान की दरों में वृद्धि की है।
- संशोधित दरों के अनुसार, दिव्यांग सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) को 75 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता के मामले में 35 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जा रही है। इससे पूर्व यह राशि 15 लाख रुपए थी।
- इसी प्रकार, 50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक निःशक्तता के मामले में 25 लाख रुपए तथा 25 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक निःशक्तता के मामले में 15 लाख रुपए अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। पहले यह राशि क्रमशः 10 लाख और 5 लाख रुपए थी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/important-decision-taken-at-haryana-cabinet-meeting